राजस्व वनभूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र

कबीरधाम जिले के कवर्धा वनमंडल अंतर्गत पोण्डी–छ.ग./म.प्र. बॉर्डर, पंडरिया–कुई, बैरख–नेवराटोला, कुई–महुली, चिल्फी–तरमा, तरमा–सहसपुर लोहारा, खाड़ी–दमोह, लाखाटोला –पालक, मोहगांव–बोटेसुर, दरई–पिपरखुटा, तरेगांव–बरहापानी, कुई–नेऊर मुख्य मार्गों के समानांतर कुल 208.460 कि.मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ–वे (RoW) अंतर्गत आप्टिल फायबर केबल बिछाने हेतु आरक्षित वनभूमि रकबा 1.658 हेक्टेयर, संरक्षित वनभूमि रकबा 2.985 हेक्टेयर एवं राजस्व वनभूमि 0.391 हेक्टेयर कुल 5.034 हेक्टेयर हेक्टेयर वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 (FCA 1980) के तहत् गैर वानिकी प्रयोजन/प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित है।

राजस्व वनभूमि हेतु कलेक्टर महोदय, कबीरधाम से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त कर संलग्न है।

Divisional Forest Officer
Kawardha, Division Kawardha

(अमन कुमार सिंह)
असिसटेंट वॉईस प्रेसिडेंट (कार्पो. अफेयर्स)
जियो डिज़ीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड
रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय कलेक्टर (जिला ई गवर्नस सोसायटी) जिला–कबीरधाम (छ.ग.)

क्रमांक 4607/DeGs/2022 कबीरधाम, दिनांक 25/05/2022

–:: अनापत्ति प्रमाण पत्र ::–

महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स), जियो डिज़ीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड, रायपुर द्वारा 4 जी टेलीकॉम सर्विस प्रदान करने हेतु ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने का कार्य बाबत् कबीरधाम जिले के मुख्य मार्गों के समानांतर किये जाने में प्रभावित राजस्व वनभूमि के गैर–वानिकी प्रयोजन हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की गई है, ग्रामवार भूमि विवरण निम्नानुसार है :–

मार्ग विवरण	ग्राम	तहसील	खसरा क्रमांक	व्यपवर्तित होने वाली वनभूमि (हेक्टेयर में)	मद / कैफियत
पंडरिया–कुई	सगौना	पंडरिया	228	0.002	बड़े झाड़ के जंगल
			254	0.016	बड़े झाड़ के जंगल
कुई–नेऊर	अमेरा		179/1क	0.012	बड़े झाड़ के जंगल
			1/1	0.047	बड़े झाड़ के जंगल
	नेऊर		352/1/क	0.011	बड़े झाड़ के जंगल
			352/1/क	0.030	बड़े झाड़ के जंगल
बैरख – नेवराटोला	बैरख	बोड़ला	182	0.006	वन
तरमा – सहसपुर लोहारा	मोहनपुर	रेंगाखार कला	49	0.011	वन
	तेलीटोला	बोड़ला	1/1	0.058	बड़े झाड़ के जंगल
खाड़ी – दमोह	नेवासपुर	रेंगाखार कला	163	0.011	वन
			163	0.005	वन
	बहेराखार	बोड़ला	23/1	0.011	बड़े झाड़ के जंगल
लाखाटोला – पलक	सिंघनपुरी	बोड़ला	23	0.004	वन
दरई –पिपरा खुटा	बाम्हनतरा	बोड़ला	2	0.042	बड़े झाड़ के जंगल
	मुकम		1	0.061	बड़े झाड़ के जंगल
			1	0.016	बड़े झाड़ के जंगल
	साजाटोला		1	0.048	वन
कुल रकबा (हेक्टेयर में)				**0.391**	

चूंकि प्रस्तावित भूमि राजस्व वनभूमि के मद पर दर्ज है, जिस पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 प्रभावशील है। अतएव उक्त भूमि का गैर–वानिकी प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने के संबंध में विधिवत वन विभाग से भूमि प्रत्यावर्तन की कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। यदि वन विभाग द्वारा उक्त भूमि के संबंध में नियमानुसार भू–प्रत्यावर्तन की कार्यवाही की जाती है तथा संदर्भित फर्म/संस्था द्वारा विषयांकित कार्य के संपादन में उल्लेखित ग्रामों में स्थित धार्मिक या सामाजिक विन्यास को प्रभावित नहीं की जाती हो, तो इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है,

निम्न शर्तों पर विषयांकित ग्रामों के आवेदित खसरों की भूमि पर ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत व्यपवर्तित होने वाली राजस्व वनभूमि का अनापत्ति पत्र प्रदाय किया जाता है :—

1. यह अनापत्ति प्रमाण—पत्र उपरोक्त उल्लेखित कुल 12 ग्रामों की वनभूमि/राजस्व वनभूमि पर ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के कार्य हेतु दी जा रही है। यदि अनापत्ति प्रमाण पत्र में उल्लेखित प्रयोजन के बदले अन्य प्रयोजनाथ्र उपयोग संदर्भित फर्म/संस्था द्वारा भविष्य में किया जाता हो, तो यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
2. ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु अन्य सभी संबंधित विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना अनिवार्य है।
3. ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने से किसी की परिसंपत्ति की क्षति होती है, तो आवेदित फर्म/संस्था उसे पूर्व की भांति स्थापित करेगी।
4. इस अनापत्ति के द्वारा विभाग के स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं किया जा रहा है।
5. ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने में प्रभावित होने वाले वृक्षों को किसी भी प्रकार की क्षति या काटे जाने की अनुमति नहीं होगी।
6. ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु किये जाने वाले कार्य के लिए जिन विभागों की संपत्ति अथवा जमीन से लगा हुआ कोई स्ट्रक्चर प्रभावित होता है, तो संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेते हुए,उक्त विभाग के प्रतिनिधि के समक्ष कार्यवाही करनी होगी।
7. आवेदित भूमि पर सीमांकन उपरान्त शासन द्वारा निर्मित एवं संचालित भवन स्थित होने पर संबंधित भवन का मूल्यांकन उपरान्त मूल्यांकन राशि संबंधित संस्था छ.ग. शासन, राजस्व विभाग को देय होगा।
8. ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के समय किसी भी प्रकार की हानि के भुगतान की संपूर्ण जवाबदेही आवेदित फर्म की होगी।

किसी भी शर्तो की अवहेलना पर अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जावेगा। उपरोक्त भूमि के व्यपवर्तन वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के तहत् गैर—वानिकी प्रयोजन हेतु प्रत्यावर्तन की कार्यवाही विधिवत की जाती है, तो उपरोक्त भूमि के उपयोग किये जाने पर इस विभाग को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। अतः उपरोक्त भूमि का अनापत्ति प्रमाण—पत्र जारी किया जाता है।

25/05/2022

कलेक्टर
जिला—कबीरधाम

पृ.क्रमांक 4608 / DeGs /2022 कबीरधाम, दिनांक 25/05/2022

प्रतिलिपि :—

1. सचिव, छ.ग. शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) को सूचनार्थ प्रेषित।

2. वनमंडलाधिकारी, कबीरधाम वनमंडल, कबीरधाम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स), जियो डिज़ीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

23/05/2022

कलेक्टर
जिला–कबीरधाम